NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 27-02-2026

विषय सूची

प्रधानमंत्री की इज़राइल यात्रा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा भारत की विधिक पारिस्थितिकी का तीव्र रूपांतरण

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक भ्रष्टाचार पर NCERT अध्याय पर प्रतिबंध लगाया

भारत द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के माध्यम से वैश्विक व्यापार के दो-तिहाई हिस्से तक वरीयतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित

विदेश में स्थित प्रतिभाओं को आकर्षित करना

भारत के औद्योगिक गलियारे

संक्षिप्त समाचार

चंद्रशेखर आज़ाद

हेक्सागन एलायंस

रेलटेक पोर्टल और ई-आरसीटी प्रणाली

चीन का "एक देश, दो प्रणाली" ढाँचा

मकाक (Macaques)

ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट

परिहारक/प्रतिबंधात्मक खाद्य सेवन विकार

प्रधानमंत्री की इज़राइल यात्रा

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने इज़राइल की आधिकारिक यात्रा की।
  - ऐतिहासिक रूप से प्रथम बार, प्रधानमंत्री मोदी ने इज़राइली संसद *कनेस्सेट* को संबोधित किया, ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने।

प्रमुख परिणाम

- दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर संयुक्त आयोग को मंत्री-स्तर तक उन्नत किया गया।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नेतृत्व में महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की पहल।
- कृषि अनुसंधान में 20 संयुक्त फैलोशिप।
- आगामी 5 वर्षों में 50,000 भारतीय श्रमिकों का कोटा।
- दोनों देशों ने 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनका मुख्य ध्यान प्रौद्योगिकी पर रहा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, नवाचार अनुसंधान और स्टार्टअप शामिल हैं।
- दोनों पक्षों ने रक्षा साझेदारी को और विस्तारित करने का संकल्प लिया, जिसमें संयुक्त विकास एवं संयुक्त उत्पादन को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के ढांचे के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाएगा।
- भारत और इज़राइल ने *इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC)* और *I2U2* (भारत-इज़राइल-यूएई-अमेरिका) के ढांचे में सहयोग पर भी चर्चा की।

यात्रा का महत्व

- **द्विपक्षीय संबंधों को "विशेष सामरिक साझेदारी" तक उन्नत करना:** यह उन्नयन रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और जन-से-जन संबंधों में गहन सहयोग को दर्शाता है।
- **रणनीतिक एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में विस्तारित सहयोग:** दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल नवाचार सहित महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में बड़े सहयोग की शुरुआत पर सहमति व्यक्त की।
  - ये क्षेत्र भारत के *आत्मनिर्भर भारत* लक्ष्यों के अनुरूप हैं और इज़राइल की वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में ताकत को समर्थन देते हैं।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** दोनों पक्षों ने केवल खरीद तक सीमित सहयोग को बढ़ाकर संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और रक्षा प्रणालियों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तक विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की।
  - इससे भारत की रक्षा क्षमताएँ सुदृढ़ होंगी और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षा साझेदारी बेहतर होगी।
- **आर्थिक सहभागिता एवं व्यापार पहल:**
  - मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में प्रगति की पुनः पुष्टि की गई।
  - वित्तीय संवाद की शुरुआत हुई।
  - भारत की UPI भुगतान प्रणाली को इज़राइल की भुगतान संरचना से जोड़ने पर चर्चा हुई ताकि वित्तीय संपर्क बढ़ सके।
- **क्षेत्रीय तनाव का संदर्भ:** यात्रा का समय मध्य पूर्व में जारी तनाव, ईरान से जुड़े संघर्ष के खतरे और व्यापक भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच था।
  - इसने भारत की वैश्विक भूमिका निभाने की इच्छा को संकेत दिया, जो अपने सामरिक हितों को आगे बढ़ाते हुए शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित करता है।

भारत-इज़राइल द्विपक्षीय संबंध एवं विकसित होते संबंध

- **द्विपक्षीय संबंध:** भारत ने 1950 में इज़राइल को मान्यता दी। 1992 में नियमित दूतावास खोले गए जब दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
  - 2017 में द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी तक उन्नत किया गया और इस यात्रा के बाद इसे विशेष सामरिक साझेदारी तक बढ़ाया गया।

NEXT IAS

- 2022-23 में दोनों देशों ने पूर्ण राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ संयुक्त रूप से मनाई।
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** इज़राइल भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है, जिसने AWACS राडार, ड्रोन, मिसाइल और निगरानी प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीक उपलब्ध कराई है।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** भारत एशिया में इज़राइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वैश्विक स्तर पर सातवाँ।
    - FY 2023-24 और FY 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार (रक्षा को छोड़कर) क्रमशः 6.53 अरब अमेरिकी डॉलर और 3.75 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- **निवेश:** अप्रैल 2000 – मार्च 2024 के बीच इज़राइल का प्रत्यक्ष FDI भारत में 334.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
    - भारत में इज़राइल के 300 से अधिक निवेश हैं, मुख्यतः उच्च-प्रौद्योगिकी, कृषि और जल क्षेत्र में।
- **कृषि एवं जल प्रबंधन:**
    - **1993:** कृषि सहयोग पर प्रथम समझौता।
    - **2006:** कृषि पर व्यापक कार्य योजना (3-वर्षीय चक्र) – *MASHAV* (इज़राइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी) के माध्यम से लागू।
    - **2025:** संशोधित कृषि सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर, साझेदारी के क्षेत्रों का विस्तार।
    - *इंडो-इज़राइली उत्कृष्टता केंद्र (CoE)* बागवानी क्षेत्र में इज़राइली विशेषज्ञता, तकनीक और नवाचार को प्रदर्शित करते हैं।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-रोधी एवं नवाचार:**
    - भारत-इज़राइल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग 1993 में हस्ताक्षरित समझौते के तहत स्थापित संयुक्त समिति द्वारा देखा जाता है।
    - 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का *भारत-इज़राइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचार कोष (I4F)* भी स्थापित किया गया है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों *I2U2* समूह (भारत, इज़राइल, अमेरिका, यूएई) के सक्रिय सदस्य हैं, जो आर्थिक और अंतरिक्ष सहयोग पर केंद्रित है, जैसे फूड पार्क एवं अंतरिक्ष-आधारित पर्यावरणीय उपकरण।

भारत के लिए महत्व

- **रक्षा एवं सुरक्षा:** इज़राइल भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विश्वसनीय साझेदार है और *आत्मनिर्भर भारत* एवं *मेक इन इंडिया* में सहायक हो सकता है।
- **कृषि एवं जल:** इज़राइल नवाचार, जल संरक्षण और उच्च-उपज खेती के मॉडल के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें भारत सहयोग के माध्यम से अपना सकता है।
- **भू-राजनीति:** यह भारत के *Act West* नीति के अनुरूप पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार है।

आगे की राह

- यह यात्रा भारत-इज़राइल संबंधों में एक माइलस्टोन मानी जा रही है, जो बढ़ते सामरिक विश्वास और बेहतर आर्थिक सहभागिता को रेखांकित करती है।
- इसे दीर्घकालिक संबंधों को एक अग्रगामी, बहुआयामी सामरिक गठबंधन में परिवर्तित करने के रूप में देखा जा रहा है, जिसका प्रभाव सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक कूटनीति पर पड़ेगा।

स्रोत: TH

कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा भारत की विधिक पारिस्थितिकी का तीव्र रूपांतरण

संदर्भ

- हाल ही में सम्पन्न *इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026* ने प्रदर्शित किया कि किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भारत की विधिक पारिस्थितिकी को AI-संचालित शोध उपकरणों के माध्यम से तीव्र गति से रूपांतरित कर रही है।

भारत की न्याय प्रणाली में AI का उपयोग

- सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) में AI उपकरण अब विभिन्न कार्यों में सहायक हो रहे हैं, जैसे:

- मौखिक तर्कों का लिप्यंतरण,
- निर्णयों का अनुवाद,
- ई-फाइलिंग में त्रुटियों की पहचान,
- विधिक शोध, और
- मेटाडाटा निष्कर्षण।

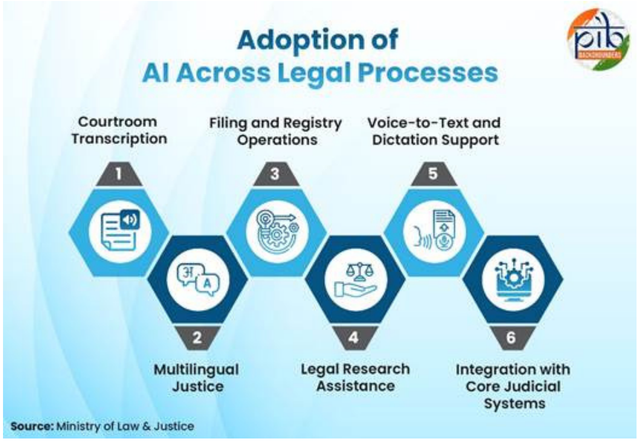

- विगत दशक में न्यायालयों ने साधारण कंप्यूटरीकरण से लेकर राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल प्लेटफॉर्म, वास्तविक समय डेटा प्रणाली, वर्चुअल कोर्ट और बहुभाषी निर्णय उपलब्धता तक प्रगति की है।
- नवीनतम तकनीकें जैसे AI और इसके उप-क्षेत्र *मशीन लर्निंग (ML), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR), नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP)* का उपयोग *ई-कोर्ट्स परियोजना* के अंतर्गत विकसित सॉफ़्टवेयर अनुप्रयोगों में किया जा रहा है।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में AI का उपयोग

- **ई-कोर्ट्स परियोजना:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यों का आधुनिकीकरण डिजिटल नवाचार के माध्यम से करने हेतु प्रारंभ।
  - **चरण III:** उन्नत AI समाधानों का एकीकरण, जिससे मामलों के प्रबंधन और न्यायालयों की प्रशासनिक दक्षता में सुधार।

- **विधिक अनुवाद एवं भाषा सुलभता हेतु AI:** भारत की न्यायिक प्रणाली मुख्यतः अंग्रेज़ी में संचालित होती है, जिससे गैर-अंग्रेज़ी भाषी वादियों के लिए बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
  - AI-संचालित विधिक अनुवाद उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है ताकि विधिक दस्तावेज़ और निर्णय सुलभ हो सकें।
- **कानून प्रवर्तन एवं अपराध रोकथाम में AI:**
  - अपराध पहचान, निगरानी और आपराधिक जांच को सुदृढ़ करने हेतु।
  - अपराध स्थल की निगरानी और संदिग्धों की ट्रैकिंग हेतु स्वचालित ड्रोन।
  - राष्ट्रीय आपराधिक डेटाबेस से एकीकृत चेहरे की पहचान प्रणाली।
  - साक्ष्य और डिजिटल अपराध मार्गों की जांच हेतु AI-संचालित फॉरेंसिक विश्लेषण।
  - वास्तविक समय में FIR दर्ज करने और मामले के दस्तावेज़ीकरण हेतु AI-संचालित *स्पीच-टू-टेक्स्ट* उपकरण।
  - गवाहों की गवाही के विश्लेषण और न्यायालयीन साक्ष्य मूल्यांकन में सुधार।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली (CJS) में AI उपयोग का महत्व

- **मामलों का लंबित बोझ**: भारत की न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों का भार समय पर न्याय में जनविश्वास को कमजोर करता है।
  - AI मामले प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, लंबित मामलों को कम कर सकता है और न्यायिक प्रक्रियाओं को तीव्र कर सकता है।
- **कारागारों में भीड़भाड़**: भारतीय कारागार दशकों से अपनी क्षमता से अधिक कैदियों को समायोजित कर रहे हैं।
  - AI शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है, जांचों को ट्रैक कर सकता है, आवश्यक कार्रवाइयों को चिन्हित कर सकता है और जांच की गुणवत्ता का आकलन कर सकता है।
- **संचालन हेतु पूर्वानुमान मॉडल**: AI अपराध स्थल डेटा, गश्ती पैटर्न और अपराधियों के मार्गों का विश्लेषण कर पुलिस संचालन को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन दे सकता है।
- **संसाधन अनुकूलन**: AI प्रशासनिक कार्यों को संभाल सकता है, जिससे पुलिसकर्मी जांच, कानून प्रवर्तन और यातायात प्रबंधन जैसे जन-सामना कार्यों के लिए मुक्त हो सकें।
- **सटीकता में वृद्धि**: AI महत्वपूर्ण साक्ष्यों की उपेक्षा को रोक सकता है और अधिक सूक्ष्म एवं विश्वसनीय आपराधिक न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकता है।

चिंताएँ/चुनौतियाँ

- **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ**: AI निगरानी अतिरेक और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकता है।
- **पक्षपात एवं भेदभाव**: AI प्रणालियाँ निर्णय-निर्माण में पक्षपात को बनाए रख सकती हैं, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **पारदर्शिता का अभाव**: AI एल्गोरिद्म प्रायः अस्पष्ट होते हैं, जिससे निर्णय कैसे लिए जाते हैं यह समझना कठिन हो जाता है और जवाबदेही कमजोर हो सकती है।
- **प्रौद्योगिकी पर निर्भरता**: AI पर अत्यधिक निर्भरता आपराधिक न्याय प्रणाली में मानवीय विवेक और निर्णय क्षमता को कमजोर कर सकती है।
- **डेटा सुरक्षा**: संवेदनशील आपराधिक न्याय डेटा का AI द्वारा संग्रहण और प्रसंस्करण डेटा उल्लंघन एवं दुरुपयोग के जोखिम बढ़ाता है।
- **नैतिक चिंताएँ**: सजा और पैरोल निर्णय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में AI का उपयोग निष्पक्षता एवं न्याय पर नैतिक प्रश्न उठाता है।
- **खुली न्याय प्रणाली के सिद्धांतों के विपरीत**: अस्पष्टता खुली न्याय, उचित प्रक्रिया और विधि के शासन के सिद्धांतों के विरुद्ध जा सकती है।
- **मानवीय अंतर्दृष्टि का बहिष्कार**: AI उन सूक्ष्म कारकों को नज़रअंदाज़ कर सकता है जिनमें मानवीय सहानुभूति और विवेक की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है ताकि AI उपकरण गोपनीयता, नागरिक स्वतंत्रताओं और नैतिक मानकों का सम्मान करें तथा दुरुपयोग को रोका जा सके।
- AI का लाभ उठाकर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अधिक दक्ष, सुलभ और न्यायसंगत बन सकती है, बशर्ते चुनौतियों का समाधान करने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएँ।

स्रोत: AIR

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक भ्रष्टाचार पर NCERT अध्याय पर प्रतिबंध लगाया

संदर्भ

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 8 की NCERT पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित अध्याय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और अनुपालन न होने की स्थिति में 'कठोर कार्रवाई' की चेतावनी दी है।

NEXT IAS

सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन

- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निम्नलिखित प्रमुख अवलोकन किए:
  - अध्याय का समावेश 'संस्था को कमजोर करने की सुनियोजित चाल' प्रतीत होता है।
  - यह न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम करने की क्षमता के कारण *आपराधिक अवमानना* के अंतर्गत आ सकता है।
  - यह विषय गहन जांच की मांग करता है।
  - यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो ऐसे कदम न्यायपालिका में जनविश्वास को कमजोर कर सकते हैं।
  - न्यायालय ने संस्थागत उत्तरदायित्व पर बल दिया: *'जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए'*।
- सॉलिसिटर जनरल ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से बिना शर्त और बिना किसी आरक्षण के क्षमा याचना प्रस्तुत की।

संवैधानिक एवं विधिक आयाम

- **न्यायपालिका की स्वतंत्रता**: *केसवानंद भारती मामले* में प्रतिपादित *मूल संरचना सिद्धांत* का हिस्सा।
  - यह कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।
  - विधि के शासन और संवैधानिक सर्वोच्चता के लिए आवश्यक।
  - न्यायालय इस अध्याय को संस्थागत स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास मानता है।
- **न्यायालय की अवमानना**: *न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971* द्वारा शासित। आपराधिक अवमानना में वे कृत्य शामिल हैं जो:
  - न्यायालय की प्रतिष्ठा को कलंकित या कम करते हैं,
  - न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हैं,
  - न्याय प्रशासन में बाधा डालते हैं।
  - पीठ ने संकेत दिया कि अध्याय इस परिभाषा में आ सकता है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम संस्थागत अखंडता**:
  - अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
  - अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्तिसंगत प्रतिबंधों में न्यायालय की अवमानना, मानहानि और लोक व्यवस्था शामिल हैं।
  - यह मुद्दा शैक्षणिक विमर्श एवं संस्थाओं की आलोचना और न्यायपालिका की गरिमा एवं अधिकार की रक्षा के बीच तनाव को उजागर करता है।
- **NCERT एवं पाठ्यचर्या शासन की भूमिका**:
  - NCERT राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचे विकसित करता है।
  - पाठ्यचर्या की सामग्री प्रायः राजनीतिक और संवैधानिक रूप से संवेदनशील होती है।
  - विचारधारा, इतिहास और संवैधानिक मूल्यों से संबंधित मामलों में पाठ्यपुस्तकों की न्यायिक समीक्षा पूर्व में भी हुई है।
  - यह घटना पाठ्यचर्या पर्यवेक्षण तंत्र, शैक्षणिक जवाबदेही और संस्थागत परामर्श प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठाती है।
- **शासन एवं संस्थागत विश्वास**:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने बल दिया कि अनियंत्रित कदम न्यायपालिका में जनविश्वास को कमजोर कर सकते हैं।
  - लोकतंत्र में न्यायालय अपनी वैधता जनविश्वास से प्राप्त करते हैं और रचनात्मक आलोचना संस्थाओं को सुदृढ़ करती है।
  - किंतु निराधार या सनसनीखेज आरोप संस्थागत विश्वसनीयता को कमजोर कर सकते हैं।
  - संतुलन बनाए रखना लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार

- न्यायिक भ्रष्टाचार का अर्थ है निजी लाभ हेतु न्यायिक अधिकार का दुरुपयोग, जिसमें रिश्वतखोरी, पक्षपात, नियुक्तियों में प्रभाव एवं मामलों में हेरफेर शामिल हैं।

भारत में न्यायपालिका की संवैधानिक स्थिति

- भारत में उच्च न्यायपालिका संवैधानिक स्वतंत्रता का आनंद लेती है, किंतु समय-समय पर पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मानकों को लेकर चिंताएँ उठती रही हैं।
    - **अनुच्छेद 50:** न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना।
    - **अनुच्छेद 124–147:** सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं स्वतंत्रता।
    - **अनुच्छेद 214–231:** उच्च न्यायालय।
    - **अनुच्छेद 129 एवं 215:** अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति।
    - मूल संरचना सिद्धांत: न्यायिक स्वतंत्रता इसका हिस्सा है।
- न्यायिक स्वतंत्रता विधि के शासन के लिए आवश्यक है, किंतु जवाबदेही के बिना स्वतंत्रता संस्थागत अलगाव का जोखिम उत्पन्न करती है।

प्रमुख संस्थागत चिंताएँ

- **नियुक्ति प्रक्रिया (कोलेजियम प्रणाली)**: *तीन न्यायाधीश मामलों* के माध्यम से विकसित कोलेजियम प्रणाली को पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना मिली है।
    - यह अस्पष्टता और अभिजात्य वर्चस्व को बढ़ावा देती है।
- **अवमानना अधिकार क्षेत्र**: न्यायपालिका की 'न्यायालय को कलंकित करने' हेतु दंडित करने की शक्ति कभी-कभी जवाबदेही और संस्थागत संरक्षण के बीच तनाव उत्पन्न करती है।
- **इन-हाउस तंत्र**: आंतरिक न्यायिक जांच प्रक्रियाओं में वैधानिक आधार और पारदर्शिता का अभाव है।

स्रोत: TH

भारत द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के माध्यम से वैश्विक व्यापार के दो-तिहाई हिस्से तक वरीयतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित

संदर्भ

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत अब मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की श्रृंखला के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग दो-तिहाई हिस्से तक वरीयतापूर्ण व्यापार पहुँच का आनंद ले रहा है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- FTA दो या अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच ऐसी व्यवस्था है जिसमें वे आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क और गैर-शुल्क अवरोधों को कम या समाप्त करने पर सहमत होते हैं।
    - इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जा सकता है।
    - यह निवेश, पेशेवरों की आवाजाही और नियामक सहयोग जैसे मुद्दों को भी संबोधित करता है।
- भारत विभिन्न प्रकार के व्यापार समझौतों की गहराई और दायरे को अलग-अलग शब्दों से व्यक्त करता है:
    - CECA/CEPA (व्यापक आर्थिक सहयोग/साझेदारी समझौता):वस्तुएँ, सेवाएँ, निवेश, बौद्धिक संपदा और नियामक मुद्दे शामिल।
    - ECTA (आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता)
    - TEPA (व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता)
    - CETA (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता)
- भारत ने लगभग 70% वैश्विक GDP और व्यापार प्रवाह वाले बाजारों तक वरीयतापूर्ण शुल्क पहुँच प्राप्त कर ली है। भारत के अब 38 उच्च-आय वाले देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं, जो इसकी निर्यात क्षमता के अनुरूप हैं।

हाल के वर्षों में प्रमुख FTA

- **भारत–UAE CEPA (2022):** 99% शुल्क लाइनों को खोला गया, लगभग सभी उपभोक्ता और औद्योगिक निर्यात पर शून्य शुल्क। सेवाओं एवं जनशक्ति की आवाजाही का विस्तार।

- **भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022):** भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सभी निर्यातों पर शुल्क समाप्त।
- **भारत–EFTA TEPA (2024):** स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टाइन के साथ समझौता, 2025 से लागू।
- **भारत–UK CETA (2025):** ब्रिटेन को भारत के लगभग 99% निर्यात पर शुल्क-मुक्त पहुँच।
- **भारत–ओमान CEPA (2025):** ओमान ने 98.08% शुल्क लाइनों पर शून्य शुल्क दिया, जिससे भारत के 99.38% निर्यात को कवर किया गया।
- **भारत–EU FTA (2026):** EU की 97% शुल्क लाइनों को कवर किया गया (लगभग 99.5% व्यापार मूल्य)। भारत ने 70.4% शुल्क लाइनों पर शुल्क समाप्त किया।
    - EU समझौता अकेले ही वैश्विक व्यापार के लगभग एक-तिहाई हिस्से को कवर करता है।

चल रही वार्ताएँ

- **GCC (ग़ल्फ़ सहयोग परिषद):** फरवरी 2026 में वार्ता शुरू। इसमें सऊदी अरब, UAE, ओमान, क़तर, कुवैत और बहरीन शामिल।
- **इज़राइल:** प्रथम दौर की वार्ता हो चुकी है।
- **चिली:** 2025 में वार्ता शुरू करने हेतु टर्म ऑफ़ रेफरेंस पर हस्ताक्षर।
- **कनाडा:** पहले बाधित हुई वार्ता को पुनः आरंभ किया गया।

भारत के विस्तृत FTA नेटवर्क का महत्व

- **तेज़ निर्यात वृद्धि :** मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) साझेदार देशों में आयात शुल्क को कम या समाप्त कर देते हैं, जिससे भारतीय वस्तुएँ मूल्य के दृष्टिकोण से अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाती हैं।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकरण:** FTAs सीमा-पार उत्पादन नेटवर्क में भागीदारी को आसान बनाते हैं, क्योंकि वे इनपुट लागत को कम करते हैं और व्यापार नियमों को सरल बनाते हैं।
    - भारतीय कंपनियाँ मध्यवर्ती वस्तुओं को कम शुल्क पर आयात कर सकती हैं और तैयार उत्पादों का प्रतिस्पर्धी निर्यात कर सकती हैं।
- **श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ :** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा हैं।
    - FTAs हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़े के सामान, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और हल्के इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे क्षेत्रों के लिए नए बाज़ार खोलते हैं।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का आकर्षण :** FTAs स्थिर बाज़ार पहुँच और पूर्वानुमेय व्यापार नियम सुनिश्चित कर निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं।
    - कंपनियाँ भारत में निवेश करती हैं ताकि इसे साझेदार देशों के लिए निर्यात आधार के रूप में उपयोग किया जा सके, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास और पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलता है।

चिंताएँ

- **व्यापार असंतुलन का जोखिम:** कुछ FTAs में आयात में निर्यात की तुलना में तीव्रता से वृद्धि हो, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा।
    - **उदाहरण**: 2010 वस्तु समझौते के बाद ASEAN के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा।
- **घरेलू उद्योगों पर दबाव:** सस्ते या तकनीकी रूप से श्रेष्ठ विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का डर।
    - डेयरी, कृषि, ऑटोमोबाइल, इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील।

आगे की राह

- भारत का विस्तृत FTA नेटवर्क गहरे वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा में निर्णायक कदम है। वरीयतापूर्ण बाज़ार पहुँच सुनिश्चित कर भारत स्वयं को एक प्रमुख निर्यात केंद्र और आपूर्ति श्रृंखला भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है।
- यदि इसे घरेलू सुधारों और उद्योग की तैयारी के साथ जोड़ा जाए, तो ये समझौते भारत को अग्रणी वैश्विक व्यापार शक्ति और ट्रिलियन-डॉलर निर्यात अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं।

स्रोत: DD News

विदेश में स्थित प्रतिभाओं को आकर्षित करना

संदर्भ

- अमेरिकी आव्रजन नीति में हालिया कठोरता ने उच्च कौशल वाले विदेशी श्रमिकों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न की है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार लक्षित पहलों एवं बेहतर अवसरों के माध्यम से अपने वैश्विक प्रतिभा को पुनः आकर्षित करने का प्रयास कर रही है।

अमेरिका में उच्च-कौशल प्रवासन में भारत की प्रधानता

- वित्तीय वर्ष 2024 में H-1B स्वीकृतियों में भारतीय नागरिकों का हिस्सा लगभग 71% रहा, जो इस चैनल पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।
- लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा उच्च डिग्री धारक है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रवासन में अत्यधिक प्रशिक्षित मानव पूंजी शामिल है।
- मास्टर डिग्री धारकों का अनुपात दशकों से लगातार बढ़ रहा है, जो भारतीय प्रवासन की बढ़ती ज्ञान-गहनता को दर्शाता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, इंजीनियरिंग और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में एकाग्रता भारतीय पेशेवरों को अमेरिकी नवाचार प्रणाली का केंद्रीय हिस्सा बनाती है।

उभरते प्रतिलोम प्रवासन प्रवृति

- बढ़ती वीज़ा लागत और H-1B कार्यक्रम से जुड़ी अनिश्चितताओं ने कई कुशल भारतीयों को दीर्घकालिक विदेशी बसावट पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है।
- कई विदेशी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान निधि, छात्रवृत्ति और भर्ती सहायता में कमी ने पारंपरिक शैक्षणिक एवं पेशेवर मार्गों को कमजोर किया है।
- प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से स्नातक भारतीय अब घरेलू अवसरों में बढ़ती संभावनाओं के कारण भारत में रोजगार खोज रहे हैं।
- भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में बढ़ते अवसरों ने वापसी प्रवासन को पहले से अधिक आकर्षक बना दिया है।

भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र

- **सशक्तियाँ:**
  - भारत में 1,600 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जो लाखों पेशेवरों को रोजगार देते हैं।
  - स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विश्व के सबसे बड़े में से एक है और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार विस्तार कर रहा है।
  - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और विशाल घरेलू बाज़ार नवाचार के लिए उपजाऊ भूमि तैयार करते हैं।
- **कमज़ोरियाँ:**
  - भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय GDP का लगभग 0.64% है, जो अमेरिका (3.47%), चीन (2.41%) और इज़राइल (5.71%) से काफी कम है।
  - अनुसंधान निधि में निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है।
  - उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण और डीप-टेक क्षेत्र अभी भी अविकसित हैं।
  - उद्योग-अकादमिक सहयोग की कमी अनुसंधान के व्यावसायीकरण को बाधित करती है।

प्रवासी प्रतिभा को पुनः संलग्न करने हेतु सरकारी पहल

- **ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया (GATI):** अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, सहयोग और कौशल विनिमय को सुगम बनाने का प्रयास।
- **ई-माइग्रेट V2.0:** प्रवासी श्रमिकों की निगरानी और संरक्षण हेतु डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
- **VAJRA (उन्नत संयुक्त अनुसंधान का दौरा):** एक फेलोशिप कार्यक्रम जो प्रवासी वैज्ञानिकों (NRIs और PIOs सहित) को भारतीय अनुसंधान संस्थानों में अल्पकालिक पद प्रदान करता है।
- **भारत को जानो कार्यक्रम:** प्रवासी युवाओं के साथ जुड़ाव को सुदृढ़ करता है और भारत के विकास पथ से दीर्घकालिक संबंध को प्रोत्साहित करता है।

- **SWADES (रोज़गार सहायता के लिए कुशल कामगारों के आगमन का डेटाबेस):** विदेश से लौटे योग्य नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने की पहल। यह लौटती प्रतिभा के कौशल का मानचित्रण कर भारत में कार्यरत भारतीय और विदेशी कंपनियों में रिक्तियों को भरने में सहायक होता है।

आगे की राह

- वैश्विक वीज़ा अनिश्चितता ने भारत के लिए अपने उच्च कौशल वाले प्रवासी समुदाय को पुनः प्राप्त करने का एक दुर्लभ रणनीतिक अवसर प्रदान किया है। तथापि, प्रतिभा को आकर्षित करना केवल प्रथम कदम है। दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए शहरी जीवन-योग्यता, अनुसंधान अवसरों और आर्थिक गतिशीलता में सुधार आवश्यक है।
- यदि व्यापक सुधारों द्वारा समर्थन प्राप्त हो, तो लौटे हुए पेशेवर भारत को नवाचार-प्रेरित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने की गति को तीव्र कर सकते हैं। अन्यथा, यह अवसर नष्ट हो सकता है और प्रतिभा वैकल्पिक गंतव्यों की ओर प्रवास कर सकती है, जिससे ब्रेन-ड्रेन(Brain Drain) का चक्र जारी रहेगा।

स्रोत: TH

भारत के औद्योगिक गलियारे

समाचार में

- वित्त वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट में एकीकृत **पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे** की घोषणा की गई है, जिसका प्रमुख नोड दुर्गापुर में होगा। इसका उद्देश्य आधुनिक, वैश्विक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक केंद्रों और ग्रीनफील्ड निवेश क्षेत्रों का निर्माण करना है।
    - देशभर में 11 औद्योगिक गलियारों की योजना बनाई गई है, जो उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम पट्टियों में फैले होंगे।

औद्योगिक गलियारे

- ये रैखिक विकास क्षेत्र होते हैं जो प्रमुख आर्थिक केंद्रों को सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों के एकीकृत नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं।
- औद्योगिक गलियारे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को रूपांतरित करने में मौलिक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहाँ उद्योग कुशलतापूर्वक, सतत रूप से और प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से संचालित हो सकें।

विशेषताएँ

- उद्योग और मूलभूत अवसंरचना के बीच संबंध को सुदृढ़ कर तीव्र औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- परिभाषित मार्ग के साथ वैश्विक स्तर पर तुलनीय अवसंरचना का निर्माण, जो प्रतिस्पर्धी और व्यवसाय-अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
- आर्थिक संकेंद्रण और औद्योगिक क्लस्टरिंग को सुगम बनाना, जिससे क्षेत्र अपनी विकास क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकें।
- क्षेत्रीय शक्तियों का इष्टतम उपयोग केंद्रित निवेश और नियोजित औद्योगिक विकास के माध्यम से करना।
- प्रमुख परिवहन मार्गों, विशेषकर रेल ट्रंक मार्गों के साथ विकास, जिससे माल और जनसाधारण की कुशल आवाजाही हेतु सुदृढ़ संपर्क सुनिश्चित हो।

महत्व

- **एकीकृत अवसंरचना औद्योगिक दक्षता को सुदृढ़ करती है:** बहु-माध्यम परिवहन नेटवर्क, विश्वसनीय उपयोगिताएँ और आईसीटी-सक्षम सेवाएँ एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, जो औद्योगिक संचालन एवं वस्तुओं की आवाजाही को कुशल बनाती हैं।
- **प्लग-एंड-प्ले पारिस्थितिकी तंत्र व्यापार तत्परता को तीव्र करता है:** तैयार सुविधाएँ, सुनिश्चित उपयोगिताएँ और सुव्यवस्थित अनुमोदन समय की बचत करते हैं, जिससे उद्योग शीघ्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संचालन प्रारंभ कर सकते हैं।
- **सततता पहल जिम्मेदार वृद्धि सुनिश्चित करती हैं:** नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना, अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रणाली और हरित भवन मानदंड उद्योगों को पर्यावरणीय प्रभाव सीमित रखते हुए विस्तार करने में सहायक होते हैं।
- **कौशल विकास पहल क्षेत्रीय रोजगार को प्रोत्साहित करती हैं:** प्रशिक्षण कार्यक्रम और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी कुशल कार्यबल का निर्माण करती हैं, जिससे रोजगार सृजन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र निवेश आकर्षित करते हैं और निर्यात को बढ़ावा देते हैं:** SEZ कर प्रोत्साहन और नियामकीय लाभ प्रदान करते हैं, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं तथा भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में स्थिति को सुदृढ़ करते हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी विकास परिणामों में सुधार करती है:** सरकार और उद्योग के बीच सहयोगी मॉडल बेहतर योजना, संसाधनों के कुशल उपयोग एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।
- **वॉक-टू-वर्क योजना जीवन गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाती है:** कम आवागमन, कम प्रदूषण, पैदल-मैत्रीपूर्ण लेआउट और हरित स्थान स्वस्थ जीवनशैली एवं अधिक उत्पादक शहरी वातावरण को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे औद्योगिक नगर निवेशकों तथा श्रमिकों दोनों के लिए आकर्षक बनते हैं।

सरकारी कदम

- भारत सरकार **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम (NICDP)** के अंतर्गत अनेक औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है, जिसे **पीएम गतिशक्ति** ढाँचे द्वारा मार्गदर्शित किया जा रहा है ताकि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए समन्वित, बहु-माध्यम संपर्क सुनिश्चित हो सके।
- **नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NICDC)**, जिसे पूर्व में **दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMICDC)** के नाम से जाना जाता था, जनवरी 2008 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के विकास, समन्वय और क्रियान्वयन हेतु स्थापित किया गया था।

स्रोत :PIB

संक्षिप्त समाचार

चंद्रशेखर आज़ाद

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में

- चंद्रशेखर आज़ाद महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के बदरका गाँव में हुआ था।
- उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन (1920–22) में सक्रिय भागीदारी की।
- मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने अपना नाम "आज़ाद," पिता का नाम "स्वतंत्र" और निवास "जेल" बताया। सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए जाने के बाद उन्होंने "आज़ाद" (अर्थात् स्वतंत्र) को अपनी स्थायी पहचान बना लिया।
- चौरी-चौरा घटना (1922) और असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर अग्रसर हुए।

- 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद (अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क) के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। गोलीबारी में उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को बच निकलने का अवसर दिया और अंततः गिरफ्तारी से बचने हेतु अपनी अंतिम गोली स्वयं पर चला दी।

प्रमुख योगदान

- **काकोरी ट्रेन डकैती (1925):** रामप्रसाद बिस्मिल के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के नेता के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम हेतु हथियारों की व्यवस्था करने के लिए ट्रेन लूट का नेतृत्व किया। वे गिरफ्तारी से बच निकले जबकि अन्य जेल भेजे गए।
- **लाहौर हत्या (1928):** उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु की ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में सहायता की, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध था।
- **HSRA का गठन:** पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) नाम दिया। वे HSRA के मुख्य रणनीतिकार बने।

स्रोत: PIB

हेक्सागन एलायंस

संदर्भ

- इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा भारत को केंद्र में रखते हुए एक नए भू-राजनीतिक समूह हेक्सागोन एलायंस का प्रस्ताव रखा गया है।

परिचय

- "हेक्सागन ऑफ एलायंसेज़" में इज़राइल, भारत, भूमध्यसागरीय साझेदार जैसे ग्रीस और साइप्रस, साथ ही अन्य अज्ञात अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों को शामिल किया जाएगा।
- यह ढाँचा तीन प्रमुख मार्गों पर कार्य करेगा: आर्थिक सहयोग, राजनयिक संरेखण और सुरक्षा सहयोग।
- भारत के लिए इसमें भागीदारी भूमध्यसागर और पश्चिम एशिया में उसके विस्तृत रणनीतिक प्रभाव को दर्शाती है, जो भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा(IMEC) जैसी पहलों को पूरक बनाती है।
- तथापि, ऐसे समूह में गहन संरेखण भारत के ईरान के साथ संबंधों को जटिल बना सकता है, जो ऊर्जा और संपर्क का प्रमुख साझेदार है।

स्रोत: Mint

रेलटेक पोर्टल और ई-आरसीटी प्रणाली

संदर्भ

- रेल मंत्री ने भारतीय रेल की प्रमुख पहल "52 सप्ताह में 52 सुधार" के अंतर्गत रेलटेक नीति और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (RCT) के पूर्ण डिजिटलीकरण की घोषणा की।

रेलटेक नीति सुधार

- रेलटेक नीति का उद्देश्य नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, उद्योग और संस्थानों को भारतीय रेल में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु संलग्न करना है।
- नई नीति नवप्रवर्तकों के चयन को सरल बनाती है और नवाचार हेतु एक समर्पित 'रेलटेक पोर्टल' प्रस्तुत करती है।
- प्रमुख नवाचार क्षेत्रों में शामिल हैं:
  - AI-आधारित हाथी घुसपैठ पहचान प्रणाली (EIDS)
  - कोचों में AI-आधारित आग पहचान प्रणाली
  - ड्रोन-आधारित टूटी रेल पहचान प्रणाली
  - रेल तनाव निगरानी प्रणाली
  - पार्सल वैन (VPUs) पर सेंसर-आधारित लोड गणना उपकरण आदि।

ई-आरसीटी: रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल मामलों के निपटान में सुधार

- E-RCT प्रणाली रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का पूर्ण कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण सक्षम करेगी।
- पहले, दावेदारों को मामलों की फाइलिंग और ट्रैकिंग हेतु ट्रिब्यूनल बेंचों पर शारीरिक रूप से जाना पड़ता था, जिससे विलंब, यात्रा भार एवं क्षेत्राधिकार संबंधी भ्रम उत्पन्न होता था।

- यह प्रणाली दावों की फाइलिंग, प्रसंस्करण और निर्णय प्रक्रिया को तीव्रता, अधिक पारदर्शी और देश के किसी भी हिस्से से सुलभ बनाएगी।

स्रोत: PIB

चीन का "एक देश, दो प्रणाली" ढाँचा

संदर्भ

- चीन ने व्यवस्थित रूप से हांगकांग पर नियंत्रण सख्त किया है, विशेषकर 2020 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSL) के बाद, जिससे वहाँ का राजनीतिक और मीडिया परिदृश्य पुनः आकार ले रहा है।

परिचय

- हांगकांग को 1997 में यूनाइटेड किंगडम से चीन को "एक देश, दो प्रणाली" ढाँचे के अंतर्गत सौंपा गया था, जिसे हांगकांग के बेसिक लॉ में समाहित किया गया।
- इस ढाँचे ने निम्नलिखित की गारंटी दी थी:
    - उच्च स्तर की स्वायत्तता
    - स्वतंत्र न्यायपालिका
    - नागरिक स्वतंत्रताएँ (मुक्त प्रेस, सभा, अभिव्यक्ति)
    - पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली
- यह व्यवस्था 2047 तक अपरिवर्तित रहने वाली थी।
- हाल के वर्षों में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक नागरिक समाज ने चीन के कथित प्रयासों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, जो शहर की स्वायत्तता को कमजोर करने के रूप में देखे जाते हैं।
- जून 2020 में चीन ने हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया।
- यह कानून निम्नलिखित को अपराध घोषित करता है:
    - अलगाववाद (चीन से अलग होना)
    - विध्वंस (केंद्रीय सत्ता को कमजोर करना)
    - आतंकवाद (हिंसा या भय दिखाकर लोगों को डराना)
    - विदेशी या बाहरी शक्तियों के साथ मिलीभगत
- इसने राजनीतिक भागीदारी, न्यायिक स्वतंत्रता और नागरिक समाज की भूमिका को मौलिक रूप से बदल दिया।
- NSL ने प्रभावी रूप से हांगकांग की विशिष्ट राजनीतिक पहचान को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) द्वारा परिभाषित केंद्रीकृत राष्ट्रीय पहचान के अधीन कर दिया है।

स्रोत: TH

मकाक (Macaques)

समाचार में

- जापान के एक चिड़ियाघर से जुड़ी एक वायरल कहानी में परित्यक्त शिशु जापानी मकाक ("पंच") ने मकाक समाजों में जटिल सामाजिक पदानुक्रम और भावनात्मक निर्भरता को उजागर किया।

मकाक के बारे में

- मकाक बंदर पुरानी दुनिया के बंदरों की एक वंशावली (Genus) हैं, जो सेरकोपिथेसिडे परिवार से संबंधित हैं।
- ये सबसे व्यापक और विविध प्राइमेट समूहों में से एक हैं, जिनकी 20 से अधिक प्रजातियाँ मुख्यतः एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं।
- ये अत्यधिक अनुकूलनशील होते हैं और विविध पारिस्थितिक परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं।
- जापानी मकाक जिसे "स्नो मंकी" भी कहा जाता है, जापान का मूल निवासी है और ठंडे मौसम में रहने तथा गर्म जल के झरनों में स्नान करने के लिए प्रसिद्ध है।
- रिसस मकाक उत्तर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है तथा चिकित्सा एवं जैव-चिकित्सा अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है।
- सिंह-पूंछ मकाक भारत के पश्चिमी घाटों का स्थानिक और संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसे इसकी विशिष्ट चाँदी-सफेद अयाल से पहचाना जाता है।
- क्रेस्टेड ब्लैक मकाक इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप का मूल निवासी है और अपने गहरे शिखर तथा गंभीर संकटग्रस्त स्थिति के लिए जाना जाता है।

सामाजिक व्यवहार और पदानुक्रम

- मकाक अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं, जो सख्त प्रभुत्व पदानुक्रम वाली टोली (Troops) में रहते हैं।
- मादा का प्रभुत्व स्थान सामान्यतः मातृवंशीय होता है, अर्थात बेटियाँ अपनी माताओं के समान दर्जा प्राप्त करती हैं।
- कुछ प्रजातियों में, जैसे जापानी मकाक, "सबसे छोटी बहन नियम" लागू होता है, जिसमें सबसे छोटी बेटी बड़ी बहनों से ऊँचे दर्जे पर होती है।
- नर का दर्जा सामान्यतः गठबंधनों, शारीरिक शक्ति और लड़ाई की क्षमता से निर्धारित होता है। नर प्रायः विभिन्न टोलियों के बीच प्रवास करते हैं।

स्रोत: IE

ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट

संदर्भ

- सैपियन लैब्स द्वारा जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट ने भारत में युवाओं के बीच गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट को उजागर किया है और मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में तीव्र पीढ़ीगत विभाजन को रेखांकित किया है।

रिपोर्ट के बारे में

- पूर्व में इसे मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट कहा जाता था और अब यह ग्लोबल मंद प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकाशित होती है।
- अध्ययन जीवन, कार्य और संबंधों को प्रबंधित करने हेतु आवश्यक भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और कार्यात्मक क्षमताओं का आकलन करता है। इसके लिए माइंड हेल्थ कोशेंट(MHQ) को एक समग्र संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- अध्ययन ने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के चार प्रमुख कारणों की पहचान की है:
    - पारिवारिक संबंधों का कमजोर होना
    - आध्यात्मिकता में गिरावट
    - स्मार्टफोन का प्रारंभिक संपर्क
    - अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन

प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक प्रवृत्तियाँ:**
    - आर्थिक रूप से विकसित देशों के युवा वयस्कों में मानसिक स्वास्थ्य परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर पाए गए, जबकि कम विकसित क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देखे गए।
    - जापान, ताइवान, हांगकांग, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों की स्थिति निम्न रही, जबकि घाना, नाइजीरिया, ज़िम्बाब्वे, केन्या और तंज़ानिया जैसे उप-सहारा अफ्रीकी देशों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा।
    - उल्लेखनीय है कि फ़िनलैंड ख़ुशी में उच्च स्थान पर है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में अनुपातिक रूप से नहीं, जिससे स्पष्ट होता है कि जीवन संतुष्टि और मानसिक दृढ़ता अलग-अलग मापदंड हैं।
- **भारत की स्थिति:**
    - **आयु 18–34:** वैश्विक स्तर पर 60वाँ स्थान, MHQ स्कोर 33।
    - **आयु 55+:** वैश्विक स्तर पर 49वाँ स्थान, MHQ स्कोर 96।

स्रोत: IE

परिहारक/प्रतिबंधात्मक खाद्य सेवन विकार

संदर्भ

- ARFID (परिहारक/प्रतिबंधात्मक खाद्य सेवन विकार) एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है, जो देखने में सामान्यतः चुनींदा खाने जैसा प्रतीत हो सकता है।

परिचय

- ARFID एक प्रकार का खानपान विकार है, जिसे वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए किंतु उपचार योग्य विकार के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है।
- परिहारक/प्रतिबंधात्मक खाद्य सेवन विकार (ARFID) ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने खाने की मात्रा और प्रकार को सीमित कर देता है।

- यह विकार अन्य खानपान विकारों की तरह विकृत आत्म-छवि या शरीर का वजन घटाने के प्रयास का परिणाम नहीं होता।

ARFID के प्रभाव

- ARFID से पीड़ित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण देखे जा सकते हैं:
  - भोजन करने में रुचि खो देना।
  - भोजन करने के परिणामों को लेकर चिंता महसूस करना, जैसे भोजन करते समय घुटन या उल्टी का भय।
  - ऐसे खाद्य पदार्थों से परहेज़ करना जिनका रंग, स्वाद, बनावट या गंध अप्रिय लगे।
- **उपचार:** यह विकार उचित पेशेवर सहयोग से उपचार योग्य है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सकों और पोषण विशेषज्ञों/डायटीशियनों की सहायता से इसका प्रभावी उपचार संभव है।

स्रोत: TH

NEXT IAS